न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 93/2018

RCMS No. 2018/00454

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण:–
1 सीमा गहलोत पुत्री नवाराम जाति मेघवाल निवासी हाल खुड़ाला तहसील बाली जिला पाली		1. छगनलाल पुत्र कानाजी जाति सरगरा निवासी सेसली तहसील बाली 2. ग्राम पंचायत सेसली जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री नवीन दवे, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक:– 31/01/2019

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, सेसली द्वारा मिसल संख्या 28/2004–05 में पारित आज्ञा संख्या 05 दिनांक 05.12.2004 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 25 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। बहस एकपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत से मिलावट करते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी करवाया गया है। जिस भूमि पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, वह प्रार्थी की खरीदसुदा भूमि है, जो प्रार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के क्रय की गई है। उक्त आराजी पर गत 40 वर्षो से प्रार्थीया काबिज है। अप्रार्थी का भूमि पर कोई कब्जा नहीं होने के बावजूद भी पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध रूप से अप्रार्थी संख्या 1 को जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत द्वारा जो मिसल कायम की गई है, उसमें किसी भी अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है तथा आदेशिका में भी कांट छांट की गई है। दिनांक 20.08.2004 की आदेशिका में जो वार्ड पंच नियुक्त किए गए, उनका नाम ही कहीं पर अंकित नहीं है। मिसल में भूखण्ड के समस्त स्थानों पर कांट छांट की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 के पास पूर्व से ही रहवासीय मकान है, इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

पट्टा जारी किया गया है। मिसल में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, वह विधि में प्रदत्त प्रक्रिया अनुसार न तो जारी हुआ एवं न ही चस्पा हुआ। सम्पूर्ण कार्यवाही विधि विरूद्ध रूप से सम्पादित की गई। ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध रूप से अप्रार्थी संख्या 1 को नाजायज लाभ प्रदान कराने हेतु जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा अपास्त करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन कराने का निवेदन किया, जबकि पंचायत द्वारा जो मिसल कायम की गई, उसमें रहवासीय मकान का पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में कार्यवाही आरम्भ की गई। उक्त आवेदन पत्र प्राप्त होने पर मिसल कायम कर सीधे तीन वार्ड पंचों को मौका निरीक्षण के आदेश पारित किए गए, जबकि सचिव को नक्शा तैयार करने के आदेश ही पारित नहीं किया गया। तीन पंचो द्वारा मौका निरीक्षण कर जोगीयों के मकान के सामने की भूमि को रियायती दर पर अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटन कराने का निवेदन किया। इस पर पंचायत बैठक दिनांक 05.09.2004 को एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। निर्धारित समयावधि में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पट्टा जारी किया गया। पंचो द्वारा अपनी रिपोर्ट में भूमि की प्रस्थिति खाडे (खड्डे) की होना बताया, जिसका पट्टा जारी किया जाना विधि सम्मत नहीं था। इसके अतिरिक्त जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, वह रियायती दर पर जारी किया गया है। जहां तक रियायती दर पर पट्टा जारी करने के प्रावधान है, उसके अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 व 159 में यह प्रावधित है। प्रकरण में प्रार्थीया का मुख्य उज्र यह रहा कि अप्रार्थी संख्या 1 के पास रहवासीय मकान उपलब्ध होने के बावजूद भी उसने निःशुल्क भूखण्ड आवंटन कराने का निवेदन किया, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया, जो विधि विरूद्ध है। नियम 158 के प्रावधानानुसार भी आवेदक के पास गृह स्थल नहीं होने की दशा में ही रियायती दर पर भूमि आवंटित की जा सकती है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि स्वयं की खरीदसुदा होना बताया है। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 के पास भूमि होने के बावजूद भी जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, सेसली द्वारा मिसल संख्या 28/2004–05 में पारित आज्ञा संख्या 05 दिनांक 05.12.2004 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 25 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ ग्राम पंचायत सेसली को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के

अति० जिला कलेक्टर, पाली

नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 31/01/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली